

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 02.01.2021

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल - 19 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. नकछेद पुत्र रामराज नि0 सिसई परसिया रानी थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 01 / 21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

02. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. मुनेशर रैदास पुत्र रामफेर नि0 रामबक्श पुरवा मौजा अकबरपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 01 / 21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

03. थाना को0देहात द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. ज्ञानदत्त दूबे पुत्र रामबृक्ष दूबे नि0 दखिनहन पुरवा थाना को0देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 01 / 21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

04. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. घनश्याम सोनकर पुत्र नानमून सोनकर नि0 रमईजोत पोखर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0- 01 / 21, 02. श्रीमती मालती देवी पत्नी उमापति नि0 महुवा खाली अम्बरपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0- 02 / 21, धारा 60.60(2) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

05. थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. प्रेम यादव पुत्र गंगाराम नि0 चॉद डाबर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 01 / 21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

थाना को0नगर पुलिस ने जुआ खेलते 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

गोण्डा । शनिवार जनपद गोण्डा के थाना को0नगर पुलिस ने 04 अभियुक्तों- 01. संदीप कुमार पुत्र रामसेवक, 02.दद्वन पुत्र साधू नि0गण मौहरिया, 03. रजी उल्लाह उर्फ राजू पुत्र अली हुसैन नि0 तोपखाना शास्त्री नगर, 04. अमित सोनकर पुत्र स्व0 गद्वे नि0 राधेपुरवा गर्द थाना को0नगर जनपद गोण्डा को सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते समय गिरफ्तार कर लिया गया ।

प्रभारी निरीक्षक को0नगर ने बताया की दिनांक 01.1.2021 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति को0नगर क्षेत्र में अलग- अलग स्थानों पर जुआ खेल रहे हैं, मुखबिर की सूचना व निशानदेही पर पुलिस बल द्वारा दबिश देकर मौके से उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 52-52 ताश के पत्ते व फड़ से रु0 450/-, रु0 765/-, कुल रु0 1215/- बरामद कर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना को0नगर में 13 जुआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

जालसाजी कर नौकरी करने वाला फर्जी शिक्षक गिरफ्तार-

गोण्डा । शनिवार जनपद गोण्डा के थाना कौड़िया पुलिस ने जालसाजी करने के आरोपी अभियुक्त – उदयराज पुत्र रामहीत नि0 सरैया तिवारी पो0 महुआपार थाना गौर जनपद बस्ती को थाना कौड़िया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 – 10 / 20, धारा 419.420.467.468.471 भादवि0 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया ।

उक्त अभियुक्त किसी दूसरे व्यक्ति के शैक्षिक दस्तावेजो का कूटरचित ढंग से उपयोग कर सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी कर रहा था । जिसके संबंध में वादी अनिल कुमार झा खण्ड शिक्षा अधिकारी कटराबाजार जनपद गोण्डा द्वारा थाना कौड़िया में अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमें कौड़िया पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर उक्त आरोपी अभियुक्त को रोडवेज बस स्टॉप बहराइच मोड़ के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।